जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
144/2016
A3/1

अपील सूचना अधिकार संख्या 144/2016 अनवानी श्री बालकिशन यादव, निर्मल–निकेतन, ग्रा0 पो0 उदयरामसर, जिला बीकानेर बनाम लोक सूचना अधिकारी, भू अभिलेख कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21–11–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बालकिशन यादव उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बालकिशन यादव ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

> राजस्व विभाग जिला श्रीगंगानगर के तहत पटवारी पद पर श्री भैरूबक्श व्यास नामक व्यक्ति पदस्थापित थे तथा अपने सेवाकाल में ही वे दिनांक 27.07.1972 को फौत हो गये। उक्त श्री भैरूबक्श व्यास, पटवारी के स्थान पर उसके पुत्र सत्यदेव ने सत्यदेव आजाद नाम से उपनिवेशन विभाग, बीकानेर में पटवारी पद पर मृत्तक आश्रित के रूप में नियुक्ति हासिल कर ली। नियुक्ति पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति सलंग्न है।
>
> इस प्रकरण में निम्न सूचनांए चाहिएः–
>
> (1)– श्री भैरूबक्श के फौत होने के बाद उनके आश्रितो की सूची की प्रमाणित प्रति देने का श्रम करें।
>
> (2)– श्री सत्यदेव उर्फ सत्यदेव आजाद की नियुक्ति बाबत तत्कालीन जिलाधीश या अन्य सक्ष्म अधिकारी द्वारा कोई आदेश (अनुशंषा की गई हो तो उसकी प्रमाणित प्रति देने का श्रम करें।
>
> (3)– श्री भैरूबक्श पटवारी के निधन के दिन से अब तक उनकी पत्रावली/सेवाभिलेखों में जो भी दस्तावेज सलंग्न किये गये है या प्रविष्टियां की गई, उसकी प्रमाणित प्रतियां दे।

अपीलार्थी श्री बालकिशन यादव ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी ने पत्र सं0 5594–95 दिनांक 15.09.2016 से उसका आवेदन पत्र आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर को उक्त तीनो बिन्दुओ की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए अन्तरित किया है जबकि धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र 5 दिन की अवधि में अंतरित नही किया गया है जो उक्त धारा की उल्लंघना है। दूसरा श्री भैरूबक्श व्यास फौत होने की दिनांक 27.07.1972 के समय उसका पदस्थापना जिला श्रीगंगानगर में ही था जिससे संबंधित समस्त दस्तावेज प्रत्यर्थी के कार्यालय में संधारित है उनके द्वारा आवेदन पत्र का अन्तरण अनुचित व सूचना ढूंढकर देने से बचने के लिए किया है। उसके द्वारा चाही गई समस्त सूचनांए आरटीआई एक्ट के प्रावधानो के तहत है। प्रत्यर्थी ने सूचना न देकर अधिनियम का उल्लंघन किया है। अतः धारा 7(6) के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए लोक सूचना अधिकारी को पाबन्द किया जावे। अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस में यह भी निवेदन किया है कि श्री भैरूबक्श व्यास के दो पुत्रो सत्यदेव व्यास उर्फ सत्यदेव आजाद तथा बंशीलाल व्यास ने जालसाजी एवं धोखाधड़ी पूर्वक राजकीय सेवा में मृत्तक आश्रित के रूप में अनुकम्पात्मक नियुक्तियां हथिया ली है जबकि बंशीलाल द्वारा प्रस्तुत परिवार की सूचि में सत्यदेव व्यास का नाम दर्ज नही है। चाही गई सूचना महज बंशीलाल तथा सत्यदेव व्यास के अपराधो को उजागर करने वाली होने से सूचना चाही गई है। इसलिए चाही गई सूचनांए निशुल्क उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
144/2016
A3

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपना जबाब पत्र सं0 5888 दिनांक 08.10.2016 से निम्नानुसार प्रस्तुत किया हैः–

प्रार्थी बालकिशन के प्र0अ0 का प्रत्युतर बिन्दूवार निम्न प्रकार से हैः–

प्रथम कथन का प्रत्युत्तर–1ः– श्री बालकिशन यादव का आर.टी.आई. आवेदन पत्र जिला भू.अ. शाखा में दिनांक 05.09.2016 को प्राप्त हुआ है। आवेदन द्वारा वर्ष 1972 के समय का अभिलेख अर्थात 44 वर्ष पूर्व के अभिलेख के संबंध में सूचना चाही गई थी। पत्र प्राप्ति उपरान्त अभिलेख की तलाश जिला भू.अ. रिकार्ड रूम में की गई। चूंकि प्रकरण में वांछनीय अभिलेख अत्यन्त पुराना था एवं तत्समय जिला हनुमानगढ व श्रीगंगानगर एक ही थे। अतः उक्त अभिलेख तलाश करने में 5 दिन से अधिक समय लगा। उक्त अभिलेख नही मिलने पर दिनांक 15.09.2016 को मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार श्रीमान उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर को स्थानान्तरित किया गया। क्योंकि श्री सत्यदेव आजाद की अनुकम्पात्मक नियुक्ति उपनिवेशन विभाग बीकानेर द्वारा की गई है।

द्वितीय कथन का प्रत्युत्तर–2ः– द्वितीय कथन सही नही है। मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु सं0 1 व 2 उपनिवेशन आयुक्त कार्यालय बीकानेर से संबंधित है। अतः प्रार्थना पत्र उपनिवेशन आयुक्त कार्यालय बीकानेर में अन्तरित किया गया।

पंचम कथन का प्रत्युतर–5ः– पंचम कथन के संबंध में सूचनांए जारी करने हेतू इस कार्यालय के पत्रांक 5593 दिनांक 15.09.2016 व 5827 दिनांक 05.10.2016 उपनिवेशन आयुक्त कार्यालय बीकानेर को लिखा जा चुका है। जिसकी प्रति आपको कार्यालय के पत्रांक 5594–95 दिनांक 15.09.2016 व 5828 दिनांक 05.10.2016 द्वारा दी जा चुकी है। अतः प्रार्थी की अपील खारिज की जानी उचित होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 3 बिन्दुओ की सूचनांओ का संबंध उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर के कार्यालय से था इसलिए उसका प्रा0 पत्र दिनांक 15.09.2016 के पत्र से स्थानान्तरण करके अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। **चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए लगभग 44 वर्ष पूर्व के अभिलेख से संबंधित है जिसमें लोक सूचना अधिकारी को समय लगना स्वभाविक ही था। इसमें लोक सूचना अधिकारी की किसी प्रकार की कोई भी बदनियति होना नही कहा जा सकता। लोक सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से नियमानुसार ही सूचना उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी लोक सेवक को किसी भी कार्य को किसी विशिष्ट तरीके से करने अथवा न करने के लिए निदेशित नही किया जा सकता है। केवल उपलब्ध अभिलेख की सूचना उपलब्ध करवाने तक ही सीमित है।इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर यहां से किसी प्रकार से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर